कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / प्रारं / नियु.प्रको. / नियु–4 / विविध सूचनाऐं / 2016 दिनांक :– 16 .02.2016

1. समस्त उप निदेशक (प्राशि)
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

विषयः– शाला दर्शन पोर्टल पर प्रपत्र 2 बी व 2 सी की प्रविष्टि कराने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा में समस्त संवर्ग के शैक्षणिक कार्मिकों / च.श्रेणी कर्मचारी की प्रविष्टि शाला दर्शन पोर्टल पर कराये जाने हेतु प्रपत्र 2 बी व 2 सी जारी किये गये हैं। जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। इन प्रपत्रों की शाला दर्शन पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिन शिक्षक कार्मिकों की प्रविष्टि शाला दर्शन पोर्टल मे उपलब्ध है उनके प्रपत्र 2 बी व 2 सी का प्रिन्ट आऊट ब्लॉक लॉग ईन के माध्यम से शाला दर्शन पोर्टल से लिया जाकर रिक्त कॉलमों की पूर्ति की जावे। कॉलमों की पूर्ति हेतु निर्देश प्रपत्र 2 बी के पृष्ठ भाग में अंकित है। पूर्ति उपरान्त शाला दर्शन पोर्टल में प्रविष्टि सुनिश्चित करवाई जावे।
2. जिन शिक्षक कार्मिको / च.श्रेणी कर्मचारी की प्रविष्टि शाला दर्शन में अभी तक नहीं की गई है उनका प्रपत्र 2 बी व 2 सी पृथक से तैयार कर शाला दर्शन पोर्टल में प्रविष्टि सुनिश्चित करवाई जावे।
3. जिले में कार्यरत समस्त शिक्षक कार्मिकों के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय रिकार्ड से पुष्टि कर दिनांक 05.03.15 तक शाला दर्शन पोर्टल में प्रविष्टि करवायेंगे।
4. सभी कार्मिकों को उनके प्रपत्र 2 बी / 2 सी का अवलोकन करवाकर हस्ताक्षरित करवायेंगे। यदि शिक्षक द्वारा प्रपत्र 2 बी / 2 सी की किसी प्रविष्टि पर आपत्ति की जाती है तो रेकार्ड से पुष्टि कर आपत्ति सही होने पर शाला दर्शन पोर्टल में की गई प्रविष्टि में संशोधन किया जायेगा। यह समस्त कार्यवाही 15 मार्च 2016 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे।
5. माह मार्च 2016 से शाला दर्शन पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 3B में प्रविष्ट किये गये कार्मिकों को ही वेतन का भुगतान किया जावेगा तथा
6. ब्लॉक के वेतन बिल के साथ शाला दर्शन पोर्टल में प्रविष्ट किये गये कार्मिकों की सूची शाला दर्शन पोर्टल से प्रिन्ट निकलवाकर संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

सभी उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी अपने संभाग / जिले में प्रभावी मोनीटरिंग कर इस कार्य को संपन्न करावें। इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए नियत तिथि 05 मार्च 2016 तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न – प्रपत्र 2 बी व 2 सी (मय दिशा निर्देश)

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. शासन सचिव महोदय प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. उपायुक्त एवं प्रभारी शाला दर्शन, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, जयपुर।
7. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन कार्यालय हाजा
9. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक / आर.टी.ई. / मोनेटरिंग / सांख्यिकी / बजट / योजना कार्यालय हाजा

निदेशक 16/2/16
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र - 2 बी

(संस्था प्रधान द्वारा शिक्षकों से भरवाकर बीईईओ कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाना है)

वरिष्ठ शिक्षकों व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए

शिक्षकों का विवरण

विद्यालय का नाम .... विद्यालय डायस कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

जिले का नाम .... ब्लॉक का नाम .... शहरी/ग्रामीण.......................................

ग्राम पंचायत/नगर निकाय का नाम .... राजस्व ग्राम का नाम/वार्ड न..

1. कार्मिक/ शिक्षक का नाम... 2. एम्प्लाई I.D. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. जन्म तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐

4.लिंग:- पुरूष ☐ स्त्री ☐

5. मो.न. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. कार्मिक जिस् श्रेणी में कार्यरत है - द्वितीय श्रेणी ☐ तृतीय श्रेणी ☐

7. प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐ 8. वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐

9 डीपीसी उपरान्त पदौन्नति पर कार्यग्रहण तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐

10.1 आधार न. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 10.2 एस.आई नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐

11. शैक्षणिक योग्यता 11.1 सैकण्डरी ☐ 11.2 हा.सै./सी.सै. ☐ 11.3 स्नातक ☐

12. स्नातक के ऐच्छिक विषय ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

13. प्रशैक्षणिक योग्यता:- 13.1 बी.एस.टी.सी./समकक्ष ☐ 13.2 बी.एड एवं समकक्ष ☐ 13.3 कोई नही ☐

14. वेतन मद:- प्लान ☐ नोन प्लान ☐ एस.एस.ए ☐ पी.डी ☐

15. क्या शिक्षक संस्था प्रधान का कार्य सम्पादित कर रहा है- हाँ ☐ नहीं ☐

16. वरिष्ठ अध्यापक के मामले मे संबधित विषय पर टिक करे:-

गणित ☐ विज्ञान ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी ☐ सामाजिक विज्ञान ☐

संस्कृत ☐ उर्दू ☐ सिंधी ☐ पंजाबी ☐ गुजराती ☐ सामान्य ☐

17. तृतीय श्रेणी अध्यापक के मामले मे उसके लेवल पर टिक करे:-

लेवल प्रथम ☐ लेवल द्वितीय ☐

18. तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय का विषय (संबधित कॉलम मे टिक करें):-

गणित ☐ विज्ञान ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी ☐ सामाजिक विज्ञान ☐

तृतीय भाषा- संस्कृत ☐ उर्दू ☐ सिंधी ☐ पंजाबी ☐ गुजराती ☐

उक्त प्रविष्टियों की मैने अवलोकन कर लिया है तथा मैं इनसे संतुष्ट हूँ। हस्ताक्षर कार्मिक

उक्त सूचनाओं की पुष्टि कार्यालय रिकार्ड से कर ली गई है।

हस्ताक्षर प्रभारी लिपिक

हस्ताक्षर बी.ई.ई.ओ.

प्रपत्र-02(सी)

पैराटीचर/पैरा शा.शि./प्रबोधक/शिक्षाकर्मी/शारीरिक शिक्षक(तृतीय श्रेणी)/ ट्रेनी अध्यापक (तृतीय श्रेणी)/विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी) सूचना

विद्यालय का नाम .... विद्यालय डायस कोडः ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

जिले का नाम .... ब्लॉक का नाम .... शहरी/ग्रामीण..

ग्राम पंचायत/नगर निकाय का नाम..............................राजस्व ग्राम का नाम/वार्ड नं......................................

1. नाम कार्मिक ....
2. जन्म दिनांक ☐☐☐☐☐☐☐☐
3. लिंग पुरूष ☐ महिला ☐
4. मोबाईल नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
5. एम्प्लाई आईडी ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
6. आधार नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. वर्तमान विद्यालय मे पदस्थापन तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐
8. यदि कार्मिक शिक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत है तो उसका स्तर :- शिक्षाकर्मी ☐ व.शिक्षाकर्मी ☐ अति व0 शिक्षाकर्मी ☐
9. यदि कार्मिक पैरा टीचर है तो उसका स्तर :- पैरा टीचर ☐ महिला पैरा टीचर ☐ पैरा शा.शि. ☐
10. कार्मिक की श्रेणीः- पैराटीचर ☐ पैरा शा.शि. ☐ प्रबोधक ☐ शिक्षाकर्मी ☐ शा.शि. ☐ ट्रेनी अ0 ☐ विशेष शिक्षक ☐
11. सहायक कर्मचारी हाँ ☐ ना ☐
12. उच्चतम शैक्षिणिक योग्यता ◯ माध्यमिक ◯ उच्चमाध्यमिक ◯ स्नातक ◯ अधिस्नातक

12.2 प्रशैक्षिणिक योग्यता ◯ BSTC समकक्ष ◯ B-ED एवं समकक्ष ◯ अन्य

13 वेतन मदः- 1- प्लान ☐ 2- नॉन प्लान ☐ 3- एस.एस.ए. ☐ 4- पी.डी. ☐

उक्त सूचनाओं की पुष्टि कार्यालय रिकार्ड से कर ली गई है।

हस्ताक्षर प्रभारी लिपिक

एम.आई.एस उक्त सूचनाओं को शाला दर्शन में ध्यानपूर्वक प्रविष्ठी करें।

हस्ताक्षर बी.ई.ई.ओ.

उक्त प्रविष्टियों की मैने अवलोकन कर लिया है तथा मै इनसे संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर कार्मिक

प्रपत्र– 2 बी को भरे जाने के संबध में दिशा निर्देश

01– प्रपत्र के बिन्दु संख्या 06 मे कार्मिक जिस श्रेणी में स्थाई रूप से कार्यरत है, उसी कॉलम (द्वितीय / तृतीय) को टिक करें

02– बिन्दू संख्या 7 में प्रथम नियुक्ति तिथी का अंकन नियमित नियुक्ति तिथी / पुनः नियुक्ति तिथी के अनुसार ही किया जाना है ।

03– प्रपत्र 2 बी में बिन्दू संख्या 15 मे द्वितीय श्रेणी के अध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) का विषय निम्न अनुसार अंकित किया जावे :–

(क)– वर्ष 2008 से पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त हुए गणित , विज्ञान एवं अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापको का विषय प्रथम नियुक्ति के विषयानुसार होगा।

(ख)– वर्ष 2008 से पूर्व पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापको का विषय उनके बिन्दु संख्या 11 पर दर्शाये गये स्नातक के ऐच्छिक विषयों के आधार पर सारणी 'क' के अनुसार निर्धारित होगा।

(ग)– वर्ष 2008 के पश्चात नियुक्त / पदौन्नत वरिष्ठ अध्यापको का विषय उनकी नियुक्ति / पदौन्नति के विषय के अनुसार निर्धारित होगा।

04 –

सारणी 'क'

क0स	स्नातक के ऐच्छिक विषय	निर्धारित विषय
01	गणित ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय	गणित
02	प्राणी विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान ऐच्छिक विषय के साथ गणित विषय को छोडकर अन्य ऐच्छिक विषय	विज्ञान
03	अंग्रेजी साहित्य ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय	अंग्रेजी
04	हिन्दी साहित्य ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी साहित्य विषय को छोडकर अन्य विषय	हिन्दी
05	तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दु, पंजाबी, गुजराती, सिंधी) के साथ हिन्दी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य विषय को छोडकर अन्य ऐच्छिक विषय	सम्बन्धित तृतीय भाषा
06	सामजिक अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले ऐच्छिक विषय यथा राजनीति विज्ञान / भूगोल / अर्थशास्त्र / इतिहास / दर्शन शास्त्र / समाज शास्त्र / लोक प्रशासन मे से कोई दो ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य एवं तृतीय भाषा के विषय को छोडकर)	समाजिक विज्ञान
07	उपरोक्त क.सं. 1 से 6 के अलावा अन्य ऐच्छिक विषय होने पर	सामान्य

05 – बिन्दु संख्या 16 मे तृतीय श्रेणी अध्यापक के लेवल (लेवल–1 या लेवल–2) का अंकन निम्नानुसार किया जावे. ।

(क) वर्ष 2012 एवं 2013 मे आर.टी.ई के प्रावधानुसार भर्ती किये गये तृतीय श्रेणी अध्यापको का लेवल जिस पद पर नियुक्त किया उनका लेवल / विषय उसी अनुसार निर्धारण होगा

(ख) उपरोक्त 'क' के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापको के लेवल निम्नानुसार होगा –

1. बीएसटीसी होने पर लेवल प्रथम निर्धारित होगा।
2. बीएड होने पर लेवल द्वितीय निर्धारित होगा।

06 – बिन्दु न 17 मे लेवल–2 के तृतीय श्रेणी अध्यापको के विषयो का अंकन निम्नानुसार होगा

(क) वर्ष 2012 एवं 2013 मे आर.टी.ई के प्रावधानुसार भर्ती किये गये तृतीय श्रेणी लेवल–2 अध्यापक के विषय का निर्धारण नियुक्ति विषय के अनुसार होगा।

(ख) अन्य तृतीय लेवल–2 के अध्यापको का विषय बिन्दु संख्या 4 में अंकित सारणी 'क' के अनुसार होगा।

16/2/16